राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ 15 (3) (1) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2020/9274 जयपुर दिनांक : 10.2.20

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी संशोधित नियम, 2007, आदेश, संख्या 48595 दिनांक 07.08.07, आदेश संख्या 3514 दिनांक 27.01.10, आदेश संख्या 25816 दिनांक 30.04.10, आदेश संख्या 16901 दिनांक 03.03.2011 एवं आदेश संख्या 433 दिनांक 26.04.2013 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैः–

नियम एवं उप नियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
नियम–2 (6) परिभाषा	"अनाथ बच्चों" बच्चों से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता–पिता की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनको न्यायिक आदेशों के तहत् मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता–पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो अथवा कुष्ठ रोग/एड्स पीडित माता/पिता की संतान हो अथवा जिनकी माता उन्हें छोडकर नाते चली गई हो और उसे नाते गये हुये एक वर्ष से अधिक हो गया है अथवा विशेष योग्यजन पेंशन हेतु पात्र माता/पिता के बच्चे हो अथवा निराश्रित पेंशन हेतु पात्र तलाकशुदा व परित्यकता महिला के बच्चे हो।	"अनाथ बच्चों" बच्चों से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता–पिता की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनको न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता–पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो अथवा कुष्ठ रोग/एड्स पीडित माता/पिता की संतान हो अथवा जिनकी माता उन्हें छोडकर नाते चली गई हो और उसे नाते गये हुए एक वर्ष से अधिक हो गया हो अथवा विशेष योग्यजन पेंशन हेतु पात्र माता/पिता के बच्चे हो अथवा निराश्रित पेंशन हेतु पात्र तलाकशुदा व परित्यकता महिला के बच्चे हो अथवा सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित माता/पिता के बच्चे हो।
नियम–2 (7) परिभाषा	"पालनहार" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो योजनान्तर्गत अनाथ बच्चों के रूप में परिभाषित बच्चों को भोजन वस्त्र, आवास, कपड़े और प्रारम्भिक शिक्षा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का दायित्व लेना चाहता है।	"पालनहार" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो योजनान्तर्गत अनाथ बच्चों के रूप में परिभाषित बच्चों को भोजन वस्त्र, आवास, कपड़े और प्रारम्भिक शिक्षा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का दायित्व लेना चाहता है। सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित माता/पिता के बच्चों के लिये उनकी माता/पिता स्वयं पालनहार होंगे।
नियम–3 (4) (6) अनुदान पात्रता	नया उपनियम प्रतिस्थापित किया गया	सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लिये आय सीमा निर्धारित नहीं है।
नियम–3 (10) अनुदान पात्रता	नया उपनियम प्रतिस्थापित किया गया	सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने के संबंध में सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161901230 दिनांक 21.01.2020 के अनुसरण में प्रसारित किये जाते है। अन्य शर्ते पूर्ववत रहेगी।

10.02.2020
(नन्नूमल पहाड़िया)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

ई–मेल : raj.palanhar@rajasthan.gov.in, फोन : 0141–2226604 हेल्पलाईन डेस्क – 1800–180–6127

क्रमांक : एफ 15 (3) (1) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2020/ 9275-313 जयपुर, दिनांक : 10.2.20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि., शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा/तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, समेकित बाल विकास सेवायें, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, आयुक्त, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
11. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, ...।
13. समस्त जिला कलेक्टर, ...।
14. वित्तीय सलाहकार, सान्याअवि, मुख्यावास।
15. समस्त अतिरिक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि, मुख्यावास।
16. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), सान्याअवि, मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
17. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि, ...।
18. समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ...।
19. आदेश पत्रावली।

10/2/20

अतिरिक्त निदेशक(सा.सु.)